



2026:AHC:15024

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44031 / 2025

दीपक उपाध्याय

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: राम कृष्ण दुबे

विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता,

: शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राम कृष्ण दुबे तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री रामेन्द्र पाल सिंह को सुना गया एवं प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत, अभियुक्त-आवेदक दीपक उपाध्याय की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे मुकदमा अपराध संख्या 133/2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना सुरियावां, जनपद भदोही में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में दुर्भावनावश झूठा फँसाया गया है। उसके विरुद्ध दर्शाए गए तीन आपराधिक मामलों का समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा चुका है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया गया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार गौतम, अमित गौतम उर्फ गोलू तथा शनि गौतम को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 31.07.2025 एवं 24.07.2025 को जमानत प्रदान की जा चुकी है (आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 24314/2025 एवं 24555/2025)।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक किसी गैंग का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और न ही उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) में वर्णित गैंग की गतिविधियों में किसी प्रकार की सहायता या उकसावा दिया है। आवेदक का उपर्युक्त मामले के अतिरिक्त कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक 31.10.2025 से निरुद्ध है और यह आश्वासन देता है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। अधिवक्ता ने यह भी इंगित किया कि न्यायालयों में मामलों के अत्यधिक लंबित होने के कारण विचारण के शीघ्र निष्पादन की संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु यह स्वीकार किया कि समान परिस्थितियों वाले उपर्युक्त सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जमानत प्रदान की जा चुकी है।

उपरोक्त तथ्यों की समग्रता, प्रकरण की प्रकृति तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए, साथ ही अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि यह जमानत प्रदान करने हेतु उपयुक्त मामला है। अतः वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकृत** किया जाता है।

अतः अभियुक्त-आवेदक **दीपक उपाध्याय** को उपर्युक्त प्रकरण अपराध संख्या में इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समरूप धनराशि का निजी मुचलका एवं दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ—

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विमुख हो या साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्न तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा—



(क) वाद के शुरुआत के समय, (ख) आरोप निर्धारण के समय, (ग) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन के अभिलेखन के समय।

(iv) आवेदक यह शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह उन तिथियों पर, जब गवाह साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित हों, किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे वाद के गुण-दोष पर किसी प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा तथा इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित नहीं होगा।

दिनांक : 19 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,)